न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3331–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–06–2014 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक, वृत्त एम.पी.नगर, भोपाल के प्रकरण कमांक 18/अ–12/2013–14.

....

कनीराम पुत्र प्यारेलाल व्यस्क द्वारा :–
1–रामस्वरूप
2–संतोष साहू
3–जामुनाप्रसाद साहू
4–रामगोपाल साहू
चारो पुत्रगण श्री कनीराम साहू
निवासीगण ग्राम मिसरौद तहसील हुजूर
जिला भोपाल

.... आवेदकगण

विरूद्ध
1–बाबूलाल पाटीदार
2–मनोहर पाटीदार
3–विष्णु पाटीदार
4–रमेशचन्द्र पाटीदार
पुत्रगण स्व.श्री जगन्नाथ पाटीदार
5–तुलसीराम पाटीदार पुत्र स्व.गंगाप्रसाद पाटीदार
सभी निवासीगण मिसरौद तह.हुजूर जिला भोपाल

.... अनावेदकगण

....

श्री सुधाकर हारोड़े, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री अरूण श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/7/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त एम.पी.नगर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 के द्वारा इस आशय के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मिसरौद स्थित भूमि सर्वे कमांक 172, 173, 174 एवं 175/3/2 रकबा 6.73 हेक्टर उसके स्वामित्व की भूमि है, जिसका वह सीमांकन कराना चाहता है, अतः सीमांकन किया जाये। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्र. कमांक 18/अ–12/2013–14 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 17–6–2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि सीमांकन का कोई नोटिस आवेदकगण को नहीं दिया गया । उक्त नोटिस दिनांक 12–6–14 को नजूल राजधानी परियोजना के राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी किया गया, परन्तु इस नोटिस की कोई तामील आवेदकगण पर नहीं की गई है। सीमांकन समय 11 बजे दिन को नियत किया गया, परन्तु सीमांकन सुबह 8 बजे से प्रारंभ कर दिया गया तथा 11 बजे तक सीमांकन समाप्त कर दिया गया । राजस्व निरीक्षक के पास जब 11 बजे आवेदक पहुँचे तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और यह बताया कि उन्होंने सीमांकन कर दिया है । राजस्व निरीक्षक ने टोटल स्टेशन मशीन से सीमांकन करना बताया है, परन्तु इस संबंध में राजस्व निरीक्षक के पास टोटल स्टेशन मशीन से सीमांकन करने का कोई अनुभव प्रमाण पत्र, पूछने पर भी नहीं बताया गया । आवेदक को मालूम हुआ है कि उक्त राजस्व निरीक्षक को टोटल स्टेशन मशीन से सीमांकन करने का कोई अनुभव नहीं है और उन्होंने बिना किसी योग्यता के गलत सलत सीमांकन कर दिया है, जो मान्य किये जाने योग्य नहीं है और अवैध तरीके से 0.11 डिसमिल भूमि पर आवेदकगण के मकान बने हुये होकर अवैध कब्जा बता दिया गया है । आवेदकगण का कब्जा अपनी स्वयं की भूमि पर है, अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है, इस संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, परन्तु राजस्व निरीक्षक ने आपत्ति लेकर उसकी सुनवाई करने

के स्थान पर और उसे सुनवाई हेतु तहसीलदार के समक्ष सुनवाई करने हेतु भेजने के स्थान पर निरस्त कर दिया और रिकार्ड और सीमांकन की नकल मॉगने पर उन्होंने यही कहा कि अभी फील्ड बुक और प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है, इस कारण उसे तहसील न्यायालय में जमा करने के बाद नकल दी जायेगी और जानबूझकर नकल नहीं दी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा जो लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये है, वे रिकार्ड के विपरीत हैं । प्रश्नाधीन भूमि कनीराम के नाम दर्ज है तथा उनकी गैरहाजिरी में आवेदकगण को कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया है । सीमांकन की कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा 17–6–14 को सीमांकन लिखना बताया है और उक्त सीमांकन प्रतिवेदन में यह भी बताया कि पडोसी कृषक उपस्थित रहे, जबकि कनीराम गुम इंसान है वे ना तो उपस्थित हुये ना उन्हें कोई नोटिस तामील हुआ । यह भी तर्क दिया कि अनावेदकगण द्वारा प्रकरण कमांक 4–ए/12/14 का सीमांकन प्रतिवेदन फील्डबुक व नक्शा प्रस्तुत किया गया है; जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति की भूमि पर आवेदकगण का कोई कब्जा नहीं पाया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि कनीराम की अनुपस्थिति की दशा में उनके ज्येष्ठ पुत्र रामगोपाल पर सूचना की तामीली हुई रामगोपाल साहू एवं अन्य भाई सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित हुये लेकिन उन्होंने पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये । सीमांकन स्थल पर आवेदकगण ने विवाद की स्थिति निर्मित की, जिसका उल्लेख सीमांकन के पंचनामे में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिस कारण सीमांकन कार्यवाही सूचना के अभाव में संपन्न किये जाने का आक्षेप आवेदकगण नहीं लगा सकते है । उपरोक्त के अतिरिक्त सीमांकन कार्यवाही के दौरान लिखित आपत्ति भी आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका उल्लेख सीमांकन प्रकरण की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है । यह भी बताया गया कि एक तरफ आवेदकगण यह वर्णित कर रहे हैं कि उनके पिता का पता 5–6 साल से नहीं चल रहा है, जिस कारण पिता पर भी सीमांकन सूचना की तामीली होनी थी, जो कि पूर्णतः प्रकिया के

विपरीत है। पिता की अनुपस्थिति में उनके पुत्रों को तामीली हुई और सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित हुये तथा सीमांकन कार्यवाही टाईटल संबंधी विवाद सुलझाने के लिये नहीं होती वल्कि आधिपत्य के विवाद की स्थिति सीमांकन में देखी जाती है, जिस कारण कनीराम के अनुपस्थिति में उनके पुत्र आवेदकगण को सीमांकन की सूचना की तामीली पूर्णत विधि सम्यक् है । राजस्व निरीक्षक के द्वारा विधिवत् सीमांकन के उपरांत आवेदकगणों के अवैध आधिपत्य संबंधी प्रतिवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण आवेदकगणों का मात्र यह कथन कि आवेदकगण का अनावेदकगण की भूमि पर बलात आधिपत्य नहीं है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् आवेदकगण को सूचना दी गई है और सीमांकन के समय आवेदकगण उपस्थित भी हुये हैं और उनकी उपस्थिति में विधिवत् सीमांकन किया जाकर पंचनामा, नक्शा एवं फील्डबुक तैयार की गई है । पंचनामे से भी स्पष्ट उल्लेख है कि सीमांकन के समय आवेदकगण उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा अशांति फैलाने की कोशिश की गई एवं झगड़ा करने को तैयार हुये । इस प्रकार आवेदकगण की उपस्थिति में ही प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन किया जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन आदेश पारित किया गया है जो कि वैधानिक एवं उचित है । इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक के समक्ष भी आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिन्हें विचारोपरांत राजस्व निरीक्षक द्वारा निरस्त किया गया है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि सीमांकन में आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई है क्योंकि जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि आवेदकगण की उपस्थिति में ही सीमांकन किया गया है । दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त एम.पी.नगर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–6–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर